

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर  
क्रमांक:प.5/सां.1/ध.पु/लाभ/74/2015/

दिनांक

उपनिदेशक आयुर्वेद समस्त संभाग

विषय-धन्वन्तरि पुरस्कार प्राप्त कार्मिको को लाभ प्रदान करने बाबत्।  
संदर्भ- शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर  
राज0 के आदेश क्रमांक प.25(15)आयु./2010 दिनांक 27.01.2016

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर राज0 के आदेश क्रमांक प.25(15)आयु./2010 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा आयुर्वेद विभाग में धन्वन्तरि पुरस्कार से सम्मानित अधिकारियों/कार्मिकों(कार्यरत/सेवारत) को निम्नानुसार लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. धन्वन्तरी पुरस्कार से सम्मानित कार्मिकों की सेवा पंजिका में इस पुरस्कार का इन्द्राज किया जाये।
  2. स्थानान्तरण पर तीन इच्छित स्थान पर वरीयता एवं पोस्टिंग रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे।
  3. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न समारोह में ससम्मान निमंत्रण दिया जावे।
- अतः उक्त परिलाभों की पालना सुनिश्चित करें।

  
(विनीता श्रीवास्तव)  
निदेशक

क्रमांक:प.5/सां.1/ध.पु/लाभ/74/2015/ २१४३

दिनांक 3-2-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग को उनके उपरोक्त संदर्भित आदेश के संदर्भ में।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
3. प्राचार्य, राज0 आयुर्वेद नर्स/कम्पा0 प्रशिक्षण केन्द्र कायड-अजमेर
4. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएं-अजमेर
5. जिला आयुर्वेद अधिकारी समस्त को भेजकर लेख हैं कि आपके जिले के सभी चिकित्सालयों को सूचना देकर उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी संस्थापन शाखा, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।

  
(विनीता श्रीवास्तव)  
निदेशक